न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 178/2011

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मदनलाल पुत्र छोगा		1. गोरधन पुत्र परबूड़ा
2. रूपाराम पुत्र छोगा		2. श्रवणकुमार पुत्र परबुड़ा
जातियान–बावरी,निवासी–पृथ्वीगढ़		3. मदनलाल पुत्र परबुड़ा
ढ़ाणी, निमाज		4. छोटूलाल पुत्र परबुड़ा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		जातियान–बावरी,निवासी–पावन
		धाम के सामने, जैतारण
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
		5. तहसीलदार, जैतारण एवं
		सब रजिस्ट्रार जैतारण
		6. पटवारी, पटवार हल्का–निमाज–I
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.01/08/2011**

उपस्थितः. 1. श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/01/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–निमाज, पटवार हल्का–निमाज, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 1019 कुल रकबा 4–14 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण के पिता छोगा पुत्र बालू जाति–बावरी, निवासी–पृथ्वीगढ़ ढाणी निमाज का कब्जा काश्त बतौर काश्तकार संवत् 2012 से उनके जीवनकाल में चला आता हैं। इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान जमीनदारी बिस्वेदारी एबोलेशन एक्ट के तहत् वादीगण व उनका "बाई आपरेशन ऑफ लॉ" उन्हें खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके थे। किन्तु वादीगण के पिता ग्रामीण व अनपढ भोले–भाले व्यक्ति थे। उनका बेजा फायदा उठाकर तत्कालीन राजस्व कार्मचारीयो ने उनकी खातेदारी दर्ज नहीं कि और उनको किसी ने विशेष कर प्रतिवादी के पिता परबूड़ा ने वादीगण के पिता को बेदखल नहीं उनके कब्जे के विषय में कोई आपति की इसलिये वह समझते रहे कि उनकी खातेदारी रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही हैं। उक्त छोगा पुत्र बालू के मरने के बाद उसके वारिसान मदनलाल, रूपाराम, यानि वादीगण का कब्जा काश्त बदस्तूर आज दिन तक चला आ रहा हैं। जबकि वादीगण के पूर्वज छोगा का रेकॉर्डेड कब्जा संवत् 2012 से लगातार शांतिपूर्ण बिना रोकटोक के चला आ रहा हैं। उक्त कारणों से भी वादीगण को भी वादग्रस्त भूमियों का खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं। क्योंकि वादीगण का भी कब्जा काश्त उनके पिता छोगा के समय से गत 56 वर्षो से अधिक समय से जानकारी में खोले आम कब्जा लगातार चला आ रहा हैं तथा प्रतिवादीयां

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

एवं उनके पूर्वज वादीगण को तथा वादीगण के पिता छेगा के विरुद्ध बेदखल का दावा लाने के लिये म्याद बाहर हो चुका हैं। इसलिये धारा 65 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम अनुसार प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वजों के अधिकार कानूनन समाप्त हो चुके हैं एवं प्रतिवादीगण का कब्जा मुखाल खाना एवं धारा 27 लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमियों के काश्तकार हो चुके हैं और आज भी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त ही नहीं हैं। बल्कि वादीगण का ही कब्जा हैं। जमाबन्दी में गलत इन्द्राज खातेदारी के वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे हैं। जिसका बेजा फायदा उठकर प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के लिये आमादा हैं। इस बदनिति से जब वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में टैक्टर से दिनांक 22/07/2011 को बाजरा की बुवाई कर रहा था। तब प्रतिवादी बे बहार के आदमियों को अपने साथ लाकर वादीगण को बेदखल करने के लिए आमादा हो गये और वादीगण और उपस्थित गांव वालों बे प्रतिवादीगण को कब्जा नहीं करने दिया। तब वादीगण को प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे ज्यादा आदमी लाकर जबरन कब्जा करके रहेगें और जमीन खुर्दबुर्द करके रहेगें। इसलिये उक्त वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। वादीगण के हक में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्वार्य निषेधाज्ञा जारी किये जाने न्यायहित आवश्यक हैं। अन्यथा वे वादीगण को बेदखल कर देगें। जिससे वादीगण को पैसे में न आंकी जाने वाली असहनीय अपूरणीय क्षति होगी और वादीगण के साथ भयंकर अन्याय होगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 तहसीलदार जैतारण लैण्ड लॉड एवं राजस्व भू-अभिलेख पटवारी हल्का-निमाज बतौर प्रतिवादी बनाया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि को अन्य हस्तान्तरण एवं नामान्तरकरण प्रक्रिया न करने हेतु वाद पत्र प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 22/07/2011 खेत में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1019 काश्त करने मना करने से एवं दिनांक 27/07/2011, 29/07/2011 को वाद कल उत्पन्न हुआ और दिन-दिन उत्पन्न होता आ रहा हैं। वाद अन्दर म्याद व अदालत बाला के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार अदालत बाला के हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 04 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादीगण के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया कि न्यायालय हाजा में दावा संख्या 178/2011 दिनांक 14/02/2018 को साक्ष्य वादीगण में लम्बित हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त वाद पत्र में वादीगण के पक्ष में खसरा नम्बर 1019 सरहद मौजा-निमाज-प्रथम में स्थित हैं। उक्त खसरा नम्बर 1019 कुल रकबा 4-14 बीघा में वादीगण के बाप दादाओं का कब्जा वक्त सैटलमेन्ट के पहले समझ 2009 से लगातार आज तक वादीगण का ही कब्जा हैं। वादीगण का कब्जा काश्त लगातार होने की वजह से हाजा न्यायालय के पक्ष में निर्णय घोषणा का किया जावें। हम सब वादी और प्रतिवादीगण उक्त राजीनामा लंबित पत्रावली संख्या 178/2011 बतौर राजीनामा से वादीगण के पक्ष में घोषणा की डिक्री पारित कर वादीगण को खसरा नम्बर 1019 कुल रकबा 4-14 बीघा बतौर खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण व वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के बीच में खसरा नम्बर 1019 में राजीनामा हो जाने से वादीगण का दावा घोषणा की डिक्री फरमाया जाकर तहसीलदार जैतारण को पालना रिपोर्ट खसरा नम्बर 1019 बतौर वादीगण खातेदार दाखिला खारिज की रिपोर्ट हाजा न्यायालय में मंगवाने का आदेश फरमावें। ताकि वादीगण को खसरा नम्बर 1019 का खातेदार घोषित की अंतिम डिक्री पारित हो सके। प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा आज दिनांक 23/01/2018 पत्रावली में पेश कर वादीगण व प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे पत्रावली जरिये राजीनामा निर्णय किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस को समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज, पटवार हल्का–निमाज, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 1019 कुल रकबा 4–14 बीघा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner